फर्द अहकाम

अज अदालत अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 1,

किशनगढ अजमेर (राज0)

विजय कुमार बनाम अनिता जैन

दीवानी वाद संख्या 29/18

सीआईएस संख्या 30/18

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
13.02.2026	श्री अविनाश शर्मा, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से उपस्थित। श्री प्रतीक मेहता, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी की ओर से उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 13 नियम 10 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी सुनी गई। इस प्रकरण की बहस में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 02 ने विवादित संपत्ति को प्रतिवादी संख्या 01 को पूर्ण प्रतिफल अदा कर क्रय किया है। पक्षकारान के मध्य विभिन्न न्यायालयों में दीवानी व फौजदारी प्रकरण विचाराधीन है, जिनका उल्लेख हस्तगत प्रार्थना पत्र के मद संख्या 07 में किया गया है। इन प्रकरणों का अंतिम रूप से निस्तारण हो चुका है एवं इन प्रकरणों में ऐसे कई दस्तावेजात संलग्न है, जो हस्तगत प्रकरण के न्यायसंगत निस्तारण हेतु आवश्यक है। अतः ऐसी स्थिति में इन पत्रावलियों को संबंधित न्यायालयों से तलब किया जावे। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने उक्त प्रार्थना पत्र का मौखिक विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी/प्रतिवादी जिन पत्रावलियों को तलब करवाना चाहता है, वे पत्रावलियां हस्तगत प्रकरण के न्यायसंगत निस्तारण हेतु आवश्यक नहीं है। अतः यह प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे। हमने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी के स्तर पर है। प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र के मद संख्या 07 में वर्णित विभिन्न पत्रावलियों को संबंधित न्यायालयों से तबल किए जाने की प्रार्थना की है। परंतु प्रार्थी/प्रतिवादी ने किस पत्रावली में ऐसे कौनसे दस्तावेजात है, जो हस्तगत प्रकरण के न्यायसंगत निस्तारण हेतु आवश्यक है, का स्पष्ट विवरण अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है। प्रार्थी/प्रतिवादी इन	

सभी प्रकरणों में पक्षकारान है ऐसी स्थिति में वह इन पत्रावलियों के आवश्यक एवं सुसंगत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर इसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। इन सभी पत्रावलियों को संबंधित न्यायालयों से तलब किया जाना इस न्यायालय के मत में न्यायसंगत नहीं है। परिणामतः हस्तगत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी संख्या 2 हेतु दिनांक 23-02-2026 को पेश हो।

(संदीप आनन्द)

SUNIL SONI

Steno Gr. II "Authenticate Document"
Digitally signed by SUNIL SONI
Date: 2026.02.13 16:57:49 +0530